(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4073–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार, प्रकरण कमांक 5/अ–13/2014–15.

.....

मडिया पिता श्री न्यादर जाति भिलाला
निवासी ग्राम पिपल्या तहसील मनावर जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

रामसिंह पिता श्री न्यादर जाति भिलाला
निवासी ग्राम गवली पिपल्या तहसील मनावर जिला धार

.....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री अशीष शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की ग्राम पिपल्या स्थित भूमि सर्वे नम्बर 57/1/2 रकबा 0.90 हेक्टेयर, 61/1 रकबा 0.868 हेक्टेयर, 60/3/1 रकबा 0.199 हेक्टेयर व 60/3 कुल रकबा 1.212 हेक्टेयर एवं 64/1/1 रकबा 0.010 आरे स्थित है । उक्त भूमि पर आने जाने हेतु परम्परागत रास्ता था, जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया

है अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 14–9–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर कृषि कार्य हेतु बेलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु रास्ता खुलवाया गया और यह भी आदेशित किया गया कि जब अनावेदक की फसल खड़ी हो तब बेलों की मुछों को बॉधकर ले जाये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के अनावेदक द्वारा बताया गया था कि परम्परागत रास्ता सर्वे कमांक 61/1/3 एवं 64/1/2 के बीच से है परन्तु तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं करते हुये नया रास्ता प्रदान करने मे अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक द्वारा बताये गये रास्ते को जिस पर कि आवेदक की फसल खडी है, तहसीलदार द्वारा रास्ता देने से आवेदक को अपूर्णनीय क्षति हुई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को उसकी भूमि पर जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ऐसी स्थिति में आवेदक के खेत से रास्ता नहीं दिया जा सकता है ।

तर्क के समर्थन में 1978 आरएन 201 व 1986 आरएन 26 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभयपक्ष आपस में सगे भाई है बटवारे में आवेदक को अधिक भूमि दी गई थी जिसमें से आने जाने का रास्ता उपलब्ध था । उक्त परम्परागत रास्ते को आवेदक द्वारा अवरूद्ध किये जाने से तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण कर अंतरिम रास्ता दिये जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(2) मौके पर आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि कई वर्षों से रास्ता था जिसे उसके द्वारा बन्द किया गया है इससे प्रथमदृष्टया ही यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा अनावेदक का रास्ता बन्द किया गया है ।

(3) स्थल निरीक्षण के समय पंचगण द्वारा भी परम्परागत रास्ता होना स्वीकार किया गया है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 1992 आरएन 222 एवं 1989 आरएन 340 व 1988 आरएन 292 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रास्ता दिये जाने संबंधी अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिसमें परिवर्तन का कोई आधार इस निगरानी में परिलक्षित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2015 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वह शीघ्र प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर